माला देवी

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2016 की दीवानी अपील संख्या 10672)

16 जुलाई 2025

[संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति गण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलकर्ता अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है, तथा क्या ऐसे राहत से वंचित किया जाना न्यायोचित था।

निर्णय सार

भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली और रेलवे पेंशन नियम, 1993, – नियम 75, 18(3) – पारिवारिक पेंशन – पात्रता – अपीलकर्ता के पति, जो पूर्वी भारतीय रेलवे में अस्थायी कर्मचारी थे, सेवा के दौरान ही उनका निधन हो गया – अपीलकर्ता द्वारा पारिवारिक पेंशन का दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि जिस कर्मचारी की सेवाएँ नियमित नहीं की गई थीं, उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय नहीं है – न्यायोचितता :

अभिनिर्धारित : अन्यायोचित – नियम 75 से यह स्पष्ट है कि किसी अस्थायी रेलवे सेवक को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा एक वर्ष की निरंतर सेवा है – इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन का यह लाभ उस मृत रेलवे सेवक के परिवार को प्राप्त होता है जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात हुई हो, इसमें इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि पद अस्थायी था अथवा नियमित किया जा चुका था – अपीलकर्ता के पति ने एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने, चिकित्सीय परीक्षण, स्क्रीनिंग उत्तीर्ण करने तथा तत्पश्चात अन्य पद पर प्रतिनियुक्त किए जाने के उपरांत, 1993 के पेंशन नियमों के प्रयोजनों हेतु एक अस्थायी रेलवे सेवक का दर्जा

प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार वे अन्य किसी अस्थायी रेलवे सेवक की भाँति पारिवारिक पेंशन के लाभ के अधिकारी हो गए थे – अपीलकर्ता को उसके मृत पति की पारिवारिक पेंशन से केवल इस कारण वंचित करना कि उन्होंने 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा मात्र लगभग 3 माह कम होने के कारण पूर्ण नहीं की थी, 1993 के पेंशन नियमों के विधायी आशय के अनुरूप नहीं है – प्रभावती देवी वाद के निर्णय के आलोक में अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है – मृतक से संबंधित पारिवारिक पेंशन नियम 75 सहपठित नियम 18(3) के अनुसार शासित होगी – उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के आदेश को अपास्त किया जाता है – संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को ₹5,00,000/- की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। [कंडिका 9-11, 13-15]

न्याय दृष्टान्त

प्रभावती देवी बनाम भारत संघ और अन्य **[1995] पूरक 5 एससीआर 421 :ए.आई.आर. 1996 एस. सी. 752-पर अवलम्बम।**

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम सुरजी देवी **[2008] 1 एससीआर 1042:(2008) 2 एस. सी. सी. 310-संदर्भित।**

न्याय दृष्टान्त

भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली और रेलवे पेंशन नियम, 1993; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

पारिवारिक पेंशन; पारिवारिक पेंशन का लाभ; पारिवारिक पेंशन के लाभ का अधिकारी; पूर्वी भारतीय रेलवे; पूर्वी भारतीय रेलवे का अस्थायी कर्मचारी; सेवा के दौरान मृत अस्थायी कर्मचारी; अस्थायी रेलवे सेवक; नियमितीकरण; सेवा के दौरान मृत रेलवे सेवक; समर

वाटरमैन; गार्ड/शंटमैन; एक वर्ष की निरंतर सेवा; सेवा के 10 वर्ष पूर्ण नहीं होना; न्यूनतम अर्हकारी सेवा; प्रदत्त अनुग्रह राशि; भारत के संविधान का अनुच्छेद 142।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2016 की दीवानी अपील संख्या 10672,

2016 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 8524 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता:

बृजेश कुमार, ऋतिक मलिक, सुश्री गीतांजलि सेतिया, मैन्सा सूरी, अखिल सूरी, निशी कांत सिंह, राजीव रंजन द्विवेदी।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता:

एस.डी. संजय, ए.एस.जी., सचिन शर्मा, अमित शर्मा, अनमोल चंदन, विनायक शर्मा, सचिन शर्मा, हरीश पांडे, अलभ्य धमीजा, अरविंद कुमार शर्मा।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश महाराज की विधवा हैं, जो पूर्वी भारतीय रेलवे में एक अस्थायी कर्मचारी थे और जिनकी 10.07.1996 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने 15.10.1986 को नियुक्ति की तिथि से 9 वर्ष 8 माह एवं 26 दिन की सेवा पूर्ण की थी।

2. अपीलकर्ता ने अपने पति की मृत्यु की तिथि से पारिवारिक पेंशन, समस्त परिणामी लाभों तथा 18% वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने हेतु विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के समक्ष मूल आवेदन सं. ओ.ए./050/00276/2014 प्रस्तुत किया था, जिसे विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 23.12.2015 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय द्वारा विद्वान न्यायाधिकरण ने यह धारित किया कि अपीलकर्ता का दावा किसी भी प्रकार से गुण-दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता के पति के नियमितीकरण एवं स्थायी समावेशन से संबंधित किसी दस्तावेज के अभाव में अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। यद्यपि अपीलकर्ता के दिवंगत पति रेलवे में अपनी सेवा के नियमितीकरण हेतु स्क्रीनिंग की अवस्था तक पहुँच चुके थे, तथापि विद्वान न्यायाधिकरण ने यह अवलोकन किया कि "स्क्रीनिंग से पेंशन का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।"

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (दीवानी) सं. 8524/2016 दायर की, जिसे अंततः आक्षेपित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया। **उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम सुरजी देवी**[1] के निर्णय का संदर्भ देते हुए उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि जिस कर्मचारी की सेवाएँ नियमित नहीं की गई थीं, उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय नहीं है। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता के पति द्वारा प्रदत्त सेवा 9 वर्ष 8 माह एवं 26 दिन की थी, जो पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा से कम है। उक्त आदेश को वर्तमान न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. वर्तमान अपील के तथ्यात्मक परिदृश्य से यह प्रकट होता है कि मृतक श्री ओम प्रकाश महाराज को चिकित्सीय परीक्षण उत्तीर्ण करने के उपरांत पत्र दिनांक 15.10.1986 द्वारा

1(2008) 2 एससीसी 310

दानापुर में “समर वाटरमैन” के पद पर नियुक्त किया गया था। स्थानापन्न पोर्टर के रूप में 7 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उप मुख्य यार्ड मास्टर, गढ़हरा के निर्देशानुसार उन्हें गढ़हरा में गार्ड/शंटमैन के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया। दुर्भाग्यवश, 10.07.1996 को कार्य के दौरान मृतक एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए और सेवा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

5. मृतक अपनी मृत्यु तक ‘स्थानापन्न’ के रूप में कार्यरत रहे तथा निर्विवाद रूप से 9 वर्ष 8 माह एवं 26 दिन तक निरंतर सेवा में रहे। उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलकर्ता पत्नी को मृतक के निकट संबंधी के रूप में अनुग्रह राशि प्रदान की गई तथा तत्पश्चात उन्हें सहानुभूतिपूर्ण आधार पर स्थानापन्न गैंगमैन के रूप में नियुक्त किया गया, जिसकी सेवा 120 दिन पूर्ण होने के पश्चात नियमित कर दी गई। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब अपीलकर्ता पत्नी ने पारिवारिक पेंशन की मांग की, जिसे रेलवे ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि चूँकि मृतक की सेवा नियमित नहीं की गई थी, अतः पारिवारिक पेंशन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

6. अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली का नियम 1515 स्थानापन्न कर्मचारियों को, समय-समय पर अस्थायी रेलवे सेवकों को उपलब्ध अधिकारों एवं विशेषाधिकारों में से कुछ अधिकार एवं विशेषाधिकार, चार (04) माह की निरंतर सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रदान करता है। इसी क्रम में रेलवे सेवा (पेंशन)नियम के नियम 18(3) पर भी अवलम्बन किया गया, जो सेवा के दौरान किसी अस्थायी रेलवे सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में, उसी स्तर पर पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु उपदान का लाभ प्रदान करता है जैसा कि किसी अस्थायी रेलवे सेवक को प्राप्त होता है। उक्त नियम को 1993 के पेंशन नियमों के नियम 75(2)(ए) के साथ सहपठित करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि यदि कोई रेलवे

सेवक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके परिवार को रेलवे सेवकों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन (जिसे इस नियम में आगे "पारिवारिक पेंशन" कहा गया है) प्रदान की जाएगी। निर्विवाद रूप से, मृतक अपनी मृत्यु की तिथि तक 9 वर्ष 8 माह एवं 26 दिन तक सेवा में रहा था तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वह अस्थायी रेलवे सेवक का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक सीमा को भी पार कर चुका था। प्रासंगिक प्रावधान निम्नवत् उद्धृत हैं :

"भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली-खंड-। "

"**1515- स्थानापन्न कर्मचारियों को उपलब्ध अधिकार एवं विशेषाधिकार**— स्थानापन्न कर्मचारियों को, समय-समय पर अस्थायी रेलवे सेवकों को उपलब्ध समस्त अधिकार एवं विशेषाधिकार, चार माह की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर प्रदान किए जाने चाहिए। तथापि, स्थानापन्न विद्यालय शिक्षकों को तीन माह की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात अस्थायी दर्जा प्रदान किया जा सकता है तथा नियमित पदों पर चयन के उपरांत उनके समावेशन होने पर उनकी सेवाओं को वरिष्ठता को छोड़कर सभी प्रयोजनों हेतु निरंतर सेवा माना जाएगा।

"रेलवे पेंशन नियम, 1993 "

18. "अस्थायी रेलवे सेवक को पेंशन, सेवा-समापन अथवा मृत्यु संबंधी लाभ – (1) कोई अस्थायी रेलवे सेवक, जो अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होता है अथवा सक्षम चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा आगे रेलवे सेवा हेतु स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया जाता है, और जिसने कम से कम दस वर्ष की अस्थायी सेवा प्रदान की हो, वह इन नियमों के अंतर्गत स्थायी रेलवे सेवक

को देय समान दर पर अधिवार्षिकी पेंशन, अशक्तता पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा।"

नियम 75:

....

(2) "उपनियम (18) के प्रावधानों के अधीन तथा उपनियम (4) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ कोई रेलवे सेवक— (क) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो; अथवा (ख) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो, बशर्ते संबंधित मृत रेलवे सेवक को सेवा या पद पर नियुक्ति से ठीक पूर्व सक्षम चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा परीक्षण कर रेलवे सेवा हेतु योग्य घोषित किया गया हो; अथवा (ग) सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो और मृत्यु की तिथि को इन नियमों के अधीन पेंशन अथवा सहानुभूतिपूर्ण भत्ते का उपभोग कर रहा हो, तो मृतक का परिवार रेलवे सेवकों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन (जिसे इस नियम में आगे 'पारिवारिक पेंशन' कहा गया है) प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसकी राशि मूल वेतन के तीस प्रतिशत की समान दर से निर्धारित की जाएगी, जो प्रति माह न्यूनतम तीन हजार पाँच सौ रुपये तथा अधिकतम सत्ताईस हजार रुपये प्रति माह होगी।"

7. इसके विपरीत, प्रत्युत्तरदाताओं का यह तर्क था कि मृतक ने सेवा के 10 वर्ष पूर्ण नहीं किए थे, जो पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा है, तथा चूँकि उसकी सेवा भी नियमित नहीं की गई थी, अतः पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आगे यह भी अभिकथित किया गया कि मृतक चार (04) माह से अधिक अवधि तक स्थानापन्न के रूप में निरंतर सेवा में भी नहीं

रहा था, और इसलिए पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने के प्रयोजन हेतु उसे अस्थायी रेलवे सेवक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी यह तर्क दिया कि रेलवे स्थापना नियमावली के नियम 1515 तथा रेलवे पेंशन नियम, 1993 के संदर्भ में प्रस्तुत तर्क अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया था और कार्यवाही के इस चरण में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना है। इस न्यायालय का हस्तक्षेप इस सीमित प्रश्न तक है कि क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलकर्ता अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है, तथा क्या ऐसी राहत से वंचित किया जाना न्यायोचित है।

9. प्रारंभ में, हम **प्रभावती देवी बनाम भारत संघ एवं अन्य**[2] के वाद में प्रतिपादित विधि-सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने सेवा के दौरान मृत रेलवे सेवक की विधवा को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया था। यह धारित किया गया था कि मृतक की विधवा एवं बच्चों को पारिवारिक पेंशन से वंचित करने संबंधी न्यायाधिकरण का आदेश अस्थिर था, क्योंकि मृतक ने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया था तथा अपनी मृत्यु के समय नियमित पद पर कार्यरत था। वर्तमान वाद में, मृतक को वर्ष 1986 में स्थानापन्न के रूप में सेवा में समाविष्ट किया गया था और उसने 9 वर्ष 8 माह एवं 26 दिन तक सेवा प्रदान की, जो सेवा के एक दशक की अवधि पूर्ण करने से मात्र 3 माह कम थी। एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने, चिकित्सीय परीक्षण एवं स्क्रीनिंग उत्तीर्ण करने तथा तत्पश्चात उप मुख्य यार्ड मास्टर, गढ़हरा के निर्देशानुसार अन्य पद पर प्रतिनियुक्त किए जाने के उपरांत, उसने रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रयोजनों हेतु अस्थायी रेलवे सेवक का दर्जा प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार वह अन्य किसी अस्थायी रेलवे सेवक की भाँति पारिवारिक पेंशन के लाभ

2 एआईआर 1996 एससी 752

का अधिकारी हो गया था। अतः **प्रभावती देवी (उपरोक्त)** के निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्त्री निश्चित रूप से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है।

10. रेलवे पेंशन नियम, 1993 का नियम 75 यह और अधिक स्पष्ट करता है कि किसी अस्थायी रेलवे सेवक को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा एक वर्ष की निरंतर सेवा है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन का यह लाभ उस मृत रेलवे सेवक के परिवार को प्राप्त होता है जिसकी सेवा के दौरान एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात मृत्यु हुई हो, और इसमें इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि पद अस्थायी था अथवा नियमित किया गया था। केवल इसी आधार पर अपीलकर्ता को प्राप्त पारिवारिक पेंशन से वंचित किया जाना अन्यायोचित है।

11. हमने वर्तमान वाद में लागू तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और हम यह पाते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करना कि अपीलकर्ता को उसके दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन से केवल इस कारण वंचित किया जाए कि उन्होंने अर्हकारी सेवा के 10 वर्ष मात्र लगभग 3 माह कम होने के कारण पूर्ण नहीं किए, भारतीय रेलवे स्थापना नियामवली एवं रेलवे पेंशन नियम, 1993 के विधायी आशय के अनुरूप नहीं है। उक्त नियमों का कल्याणकारी उद्देश्य उन सेवकों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करना है जिन्होंने पर्याप्त अवधि तक सेवा प्रदान की हो। वर्तमान वाद ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी आकस्मिक श्रमिक को बिना किसी परीक्षण अथवा जाँच के केवल अस्थायी दर्जा प्रदान कर दिया गया हो, जैसा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के खंड 4.4 में सावधान किया गया है। उक्त परिपत्र के खंड 5.1 में भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन स्थानापन्न कर्मचारियों ने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है, उनका स्क्रीनिंग समिति द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है, और यह अवस्था निर्विवाद रूप से मृतक द्वारा पार कर ली गई थी। यह निर्विवाद तथ्य है कि मृतक पद के नियमितीकरण हेतु आवश्यक जाँच/स्क्रीनिंग की

अवस्था तक पहुँच चुका था और उसने वस्तुतः अपनी अंतिम श्वास तक सेवा प्रदान की।

12. उपर्युक्त क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, यह न्यायालय विचारित मत का है कि अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन के बकाया की प्राप्ति की अधिकारी है।

13. वर्तमान वाद में पारिवारिक पेंशन की गणना के प्रयोजन हेतु, मृतक से संबंधित पारिवारिक पेंशन रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 सहपठित नियम 18(3) के अनुसार शासित होगी, जो सेवा के दौरान किसी अस्थायी रेलवे सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में उसी स्तर पर पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु उपदान का लाभ प्रदान करता है जैसा कि किसी अस्थायी रेलवे सेवक को देय होता है। उत्तरदाताओं पारिवारिक पेंशन के बकाया की गणना करेंगे तथा चार माह की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ अपीलकर्ता को नियमित पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी करेंगे।

14. फलस्वरूप, वाद के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों, वर्ष 2014 से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु वाद का अनुसरण कर रही अपीलकर्ता की दयनीय स्थिति, तथा आश्रितों को संकट की स्थिति से उबारने हेतु पारिवारिक पेंशन के मूल उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उपयुक्त समझते हैं तथा अपीलकर्ता को ₹5,00,000/- की अनुग्रह राशि प्रदान करते हैं।

15. उपर्युक्त के आलोक में, अपील स्वीकृत की जाती है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.05.2016 तथा विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 अपास्त किए जाते हैं। उत्तरदाताओं को

निर्देशित किया जाता है कि वे चार माह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करें। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निष्पादित माने जाएंगे।

वाद का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

† निर्णय सार लेखन: दिव्या पांडे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।